

गैर जमीन खतौनी नकल
 ग्राम-सिर्दाग पट्टी-सिर्खा, तहसील-धारचूला, जिला पिथौरागढ़,
 श्रेणी-9(3)ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि

खाता सं०	नाम खातेदार	जोत का वर्ष	खसरा नं०	क्षेत्रफल हे० में	लगान	विवरण
121	बंजर काबिल आबाद		4 19 40 44 कमशः 4671 4686 4693 4700 कमशः 6194 6201 6202 6215 6216 6230 6232 कमशः 7405 7414 7433 7437 7466 7475	0.396 0.316 0.043 0.020 कमशः 2.567 0.125 0.029 0.008 कमशः 0.011 1.108 0.078 0.896 2.069 0.045 0.068 कमशः 0.046 0.026 0.040 0.030 0.028 0.039		भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के स्वीकृति पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./01/195/2019/एफ.सी./230 दिनांक 18.05.2022 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 9.397 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 18.794 हे. सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 9.397 हे. वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम सिर्दाग पट्टी सिर्खा तहसील धारचूला जिला पिथौरागढ़ के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-121 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आबाद के खेत नम्बर 4671 रकवा 2.567 हे., 6201 रकवा 1.108 हे., 6216 म. रकवा 1.325 हे., कुल 03 खेत रकवा 5.000 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण किया। [Signature] [Signature] 29/1/25 पिथौरागढ़
		योग				

महोदय,

खतौनी नकल असल से तैयार किया।

राजस्व उपनिरीक्षक सिर्खा

तहसील-धारचूला, 60.....
 पिथौरागढ़

29/1/25

गैर जमीन खतौनी नकल
 ग्राम-बुंगबुंग, पट्टी-सिखा, तहसील-धारचूला, जिला पिथौरागढ़,
 श्रेणी-10(4) बंजर नाकाबिल आबाद

खाता सं०	नाम खातेदार	जोत का वर्ष	खसरा नं०	क्षेत्रफल हे० में	लगान	विवरण
54	बंजर नाकाबिल आबाद		42 85 152 186 कमशः 414 416 459 कमशः 752 760 769 792 796 820 822 895 932 1016 कमशः 2705 2730 2737 2854	0.001 0.598 0.355 0.250 कमशः 0.119 1.007 0.001 कमशः 0.063 0.015 0.319 0.823 0.538 0.204 0.898 0.335 1.272 0.055 कमशः 0.056 0.023 0.088 0.040		भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के स्वीकृति पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./01/195/2019/एफ.सी./230 दिनांक 18.05.2022 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 9.397 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 18.794 हे. सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 9.397 हे. वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बुंगबुंग पट्टी सिखा तहसील धारचूला जिला पिथौरागढ़ के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-54 श्रेणी-10(4) बंजर नाकाबिल आबाद के खेत नम्बर 416 रकवा 1.003, 752 रकवा 0.063 हे., 769 म. रकवा 0.319 हे., 1016 रकवा 0.055 कुल 04 खेत रकवा 1.440 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण किया।
		योग	106	41.128		

महोदय,

खतौनी नकल असल से तैयार किया।

राजस्व उपनिरीक्षक सिखा

तहसील.धारचूला.तह०.....
 - पिथौरागढ़

29/10/25

गैर जमीन खतौनी नकल
 ग्राम-बुंगबुंग, पट्टी-सिखा, तहसील-धारचूला, जिला पिथौरागढ़,
 श्रेणी-9(3)ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि

खाता सं०	नाम खातेदार	जोत का वर्ष	खसरा नं०	क्षेत्रफल हे० में	लगान	विवरण
43	बंजर काबिल आबाद		2 3 4 5 15 19 21 24 कमशः 2431 2458 2513 2515 2560 2561 2570 2583 2641 2711 2727 2746 2763 14/285 5	0.065 0.056 0.043 0.108 0.218 0.191 0.040 0.059 कमशः 0.091 0.026 0.096 0.071 0.377 0.324 0.065 0.049 0.202 0.050 0.103 0.014 0.055 0.337		भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के स्वीकृति पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./01/195/2019/एफ.सी./230 दिनांक 18.05.2022 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 9.397 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 18.794 हे. सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन संख्या-2173/XVIII(III)/2012-18(120)/दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 9.397 हे. वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बुंगबुंग पट्टी सिखा तहसील धारचूला जिला पिथौरागढ़ के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-43 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आबाद के कुल 132 खेतों की 12.354 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण किया। उपनिरीक्षक 29/10/25 पिथौरागढ़
		योग	182	19.422		

महोदय,

खतौनी नकल असल से तैयार किया।

राजस्व उपनिरीक्षक सिखा

तहसील धारचूला

राजस्व उपनिरीक्षक

..... 29/10/25

- पिथौरागढ़


29/10/25

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के स्वीकृति पत्र संख्या-8बी/यूसीपी/01/105/2019/एम.सी./230 दिनांक 18.05.2022 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांगुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 9397 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूर्क पृष्कारोपण हेतु 18794 हे० शिविन भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की वैधानिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(B)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुरार जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांगुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 9397 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूर्क पृष्कारोपण हेतु ग्राम चुंगचुंग पट्टी सिखा तहसील धारचूला के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-43 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आवाद के कुल 132 खेतों की 12.354 हे० (राजमन खसरे अनुसार) तथा खाता संख्या-54, श्रेणी-10(4) बंजर नाकाबिल आवाद, के खेत नम्बर 416 म० रकवा 1.003 हे०, 752 रकवा 0.063 हे०, 769 रकवा 0.319 हे०, 1016 रकवा 0.055 कुल 04 खेत रकवा 1.440 हे० एवं ग्राम सिर्दांग पट्टी सिखा तहसील धारचूला के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-121 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 4671 रकवा 2.567 हे०, 6201 रकवा 1.108 हे०, 6216 म० रकवा 1.325 हे० कुल 03 खेत रकवा 5.000 हे०, इस प्रकार कुल 02 ग्रामों के 03 खातों की 139 खेतों की 18.794 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


तहसीलदार, धारचूला स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम कराना सुनिश्चित करें।
दिनांक सितम्बर 28, 2024


(विनोद गोस्वामी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
संख्या-2087 /सात- 34 /2023-24

दिनांक सितम्बर 30, 2024

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
 2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
 3. उप जिलाधिकारी धारचूला।
 4. तहसीलदार धारचूला को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण करते हुये अनुपालन आख्या से अवगत कराया सुनिश्चित करें।
 5. अधिशारी अभियन्ता, लघु जल विद्युत परियोजना धारचूला, पिथौरागढ़।


(विनोद गोस्वामी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।